न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-23/2021/जिला टोंक

प्रहलाद पुत्र किशना उर्फ रामकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम कुरेड़ा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

--अपीलांट

बनाम

1. जिला कलक्टर टोंक (राज0)
2. उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

——रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश माननीय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 28.09.2020 बाबत खसरा नम्बर 1000 ग्राम कुरेडा तहसील पीपलू आदेश क्रमांक एफ 12/राजस्व/आरक्षण/2020/4079–83 सेट–ए– पार्ट करने वास्ते सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) अन्तर्गत धारा 92 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

उपस्थित अभि0:–श्री गिरीश शर्मा (वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 28.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी पीपलू के प्रस्ताव पर एवं उनकी अभिशंषा अनुसार ग्राम कुरेड़ा तहसील पीपलू की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1000 रकबा 15 बीघा में से रकबा 1 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ(राजकीय भवनो हेतु) राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरक्षित(सेट ए पार्ट) की गई थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है–

1. अपीलांट के अनुसार खसरा नम्बर 1000 में उक्त एक बीघा रकबे पर अपीलांट के पिता किशना पुत्र सोनाथ बैरवा का 60 साल से भी अधिक तक कब्जा रहा है। बाड़ा बना रखा था जो आज भी मौके पर [illegible] है। किशना के सन् 2006 में देहांत होने के बाद से आज तक उक्त बाड़े पर [illegible] का कब्जा चला आ रहा है। उक्त बाड़े में अपीलांट जानवरों को बांधने [illegible] रखने अन्य कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले सामान आदि रखता है। [illegible] 2033 से पी–14 [illegible] के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

का अंकन चला आ रहा है। जिसको कभी भी नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाकर बेदखल नहीं किया है।

2. राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 03.07.1971 के संदर्भ में अपीलांट नियमन का हकदार है।

3. रेस्पो0 नम्बर 2 व 3 द्वारा मौके की कोई जांच नहीं की गई। जबकि भूमि रिक्त नहीं है।

4. खसरा नम्बर 1000 से जुड़वा खसरा नम्बर 999 आबादी भूमि है। सन् 1972 में ग्राम पंचायत द्वारा कईं व्यक्तियों को खसरा नम्बर 1000 में ग्राम पंचायत द्वारा पटटे जारी किये गये।

5. खसरा नम्बर 1000 में वर्षों से मकान व बाड़े बने हुए है जिनमें कई व्यक्तियों के परिवार रह रहे है तथा मौके पर 4 बीघा भूमि खाली भी है। मगर खाली भूमि में सेट ए पार्ट न कर हमारे कब्जे व बाड़े वाली भूमि का सेट ए पार्ट किया है। मौके पर न जाकर रिपोर्ट तैयार की गई।

6. अपील के अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2020 अपास्त किया जायें तथा खसरा नम्बर 1000 ग्राम कुरेड़ा में बने हुए बाड़े एवं भूमि को अपीलांट के पक्ष में नियमन करने हेतु रेस्पो0 को निर्देशित किया जायें।

7. अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि उक्त अपील जिला कलक्टर टोंक के सेट ए पार्ट आदेश दिनांक 28.09.2020 के विरूद्ध की गई है। खसरा नम्बर 1000 की भूमि में से 1 बीघा भूमि राजकीय भवनों हेतु आरक्षित की गई है। खसरा नम्बर 1000 से जुड़ी हुई भूमि आबादी भूमि है तथा इसका खसरा नम्बर 999 है। संवत 2033 से बाड़ा बनाकर हम काबिज है। संवत 2036, 2044,2045,2046,2047,2048,2050,2051,2052,2053,2054,2056,2057,2058 की खसरा गिरदावरी में बाड़ा अंकित है तथा हमारा कब्जा बताया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 03.07.1971 के परिपत्र के संदर्भ में नियमन किया जा सकता है। खाली होने पर ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि सैट ए पार्ट की जा सकती थी। उक्त खसरा नम्बर में कई लोगों को पूर्व में पटटे जारी किये हुए है। हमने 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र लगाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से आया है। वह उक्त आदेश को चैलेंज नहीं कर सकता है। उक्त खसरा नम्बर में पट्टे दिये जाने बाबत अपीलांट द्वारा सिर्फ मौखिक कथन किये है कोई दस्तावेजी

सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलांट या उसके पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई प्रार्थना पत्र बाबत नियमन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है। अपील खारिज की जायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली पर समस्त दस्तावेजों एवं बहस बिन्दुओं पर विचार मनन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार सरकारी कार्मिकों के द्वारा धमकी देने से उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। दिनांक 01.03.2021 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 03.03.2021 को नकल प्राप्त की और शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 04.08.2021 को अपील प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। चूंकि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट पक्षकार नहीं था और जानकारी दिनांक से उसके द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांअ की अपील का मुख्य आधार विगत 60 वर्षों से कब्जा होना बताया है कब्जे बाबत दस्तावेजी सबूत पी–14 से स्पष्ट है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमि पर कोई निर्माण अपील के निर्णय होने तक नहीं किये जाने बाबत आदेश प्रदान किया जायें।

पत्रावली प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2020 जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम कुरेड़ा खाता नया 1 खसरा नक्शाट्रेस कुरेड़ा दिनांक 28.01.2021, नामातंरण प्रपत्र 21 विवादित खसरा नम्बर तहसीलदार पीपलूं द्वारा स्वीकृत दिनांक 28.01.2021, तरमीम नक्शा विवादित खसरा नम्बर द्वारा नामातंरण संख्या 1678 गिरदावरी खरीफ संवत 2033 ग्राम कुरेड़ा, 2036, 2044,2045,2046,2047,2048,2050,2051,2052,2053,2054,2056,2057,2058 का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी पीपलूं द्वारा प्रस्तावित प्रपोजल दिनांक 22.06.2020 , दिनांक 18.09.2020 तहसीलदार का पत्र, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 ग्राम पंचायत प्रस्ताव दिनांक 20.12.2019 प्रस्ताव संख्या 1, ग्राम पंचायत प्रस्ताव 15.05.2020 में प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत दिनांक 15.05.2020 भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट, गिरदावरी संवत 2074, नकल नक्शाट्रेस प्रस्तावित आवंटन क्षेत्र, जमाबंदी संवत 2074 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार एवं एस0डी0ओ रिपोर्ट दिनांक 18.09.2020 का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार प्रस्तावित एक बीघा भूमि से दिनांक 17.12.2019 भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया है तथा रिपोर्ट दिनांक 18.09.2020 को उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि आवंटन दिनांक 28.09.2020 को उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत प्रस्ताव लिया गया था तथा निर्धारित चैक रिपोर्ट में आवश्यक पूर्ति कर सही चैनल से प्रस्ताव जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Date: 2023.01.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर महोदय को भिजवाया गया था। जिनके द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। पटवारी रिपोर्ट 15.05.2020 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि से संबंधित कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं था। संवत 2033 में खसरा नम्बर 1000 में किशना पुत्र सोनाथ कौम बैरवा द्वारा ग्वार की काश्त की गई है। संवत 2036 में बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। संवत 2044 में किशना के नाम के आगे कॉलम नम्बर 4 में जाव अंकित है। संवत 2045 में कुछ भी अंकित नहीं किया हुआ है। संवत 2046 में ग्वार 10 बिस्वा में बोया गया है। संवत 2047 में ग्वार 10 बिस्वा में संवत 2048 में ग्वार 5 बिस्वा में, 2050 में ज्वार 5 बिस्वा में, संवत 2051 में जौ 9 बिस्वा, संवत 2052 में जौ 9 बिस्वा, संवत 2053 में ग्वार 5 बिस्वा, संवत 2054 में ग्वार 5 बिस्वा में, संवत 2056 में बाड़े के रूप में अतिक्रमण है 5 बिस्वा में मगर खसरा नम्बर अन्य है। संवत 2057 में खसरा नम्बर अन्य है। संवत 2058 में खसरा नम्बर 1000 में बाड़े के रूप में 5 बिस्वा पर अतिक्रमण बताया है। अपीलांट द्वारा वर्तमान में अतिक्रमण किया हुआ है। इस बाबत पी–14 की कोई नकल पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गिरदावरीयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अतिक्रमी का नाम किशना पुत्र सोनाथ है जबकि अपीलांट ने अपने पिता का नाम किशना उर्फ रामकिशन बताया है, नाम में विसंगती है। किशना पुत्र सोनाथ द्वारा ज्यादातर वर्षों में फसल काश्त की और उसके द्वारा किये गये अतिक्रमित क्षेत्र का क्षेत्रफल अंतिम गिरदावरी जो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसमें अतिक्रमित क्षेत्र 5 बिस्वा मात्र है। जबकि उसके द्वारा अपील एक बीघा की गई है। जो सुसंगत नहीं है। ना उसके द्वारा वर्तमान में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे उसका कब्जा सिद्ध होता हों।

अपीलांट द्वारा बहस में बताये गये परिपत्र दिनांक 03.07.1971 का अवलोकन किया गया। उसमें मुख्य रूप से सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से दिनांक 31.12.1970 से पूर्व तक के बनाये गये मकान व बाड़ो का नियमन करने के निर्देश दिये है। इसमें दो श्रेणियां बनायी गई थी। जिसमें यह कहा हुआ है कि यदि किसी ने 18 फरवरी 1955 तक राजकीय सिवायचक भूमि पर मकान या बाड़ा बना लिया है तो निःशुल्क नियमन करके उसे मालिकाना हक देने के निर्देश है। दूसरी श्रेणी में 18 फरवरी 1955 के बाद तथा 31.12.1955 के बाद मकान या बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर करने बाबत स्थिति का जिक्र है। जिसमें 25 पैसे प्रति वर्गगज शुल्क पर मालिकाना हक देने के निर्देश है। उक्त दोनो श्रेणियों में स्वयं के रहने के लिये मकान बनाया हो अथवा बाड़ा बनाया हों। अतः बाड़ा स्वयं के लिये बनाया हो तो ही यह मान्य होगा। वर्तमान में संवत 2079 चल रहा है। अपीलांट द्वारा संवत 2033 की गिरदावरी प्रस्तुत की है। अंग्रेजी वर्ष के अनुसार संवत 2033 का मतलब 1974 होगा। मगर गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट है कि किशना पुत्र सोनाथ द्वारा ज्यादातर वर्षों में फसल काश्त की है तथा उसका कब्जा 31.12.1970 से पूर्व का हो उसके द्वारा सिद्ध नहीं किया है। जिससे दिनांक 03.07.1971 के परिपत्र लाभ अपीलांट द्वारा नहीं लिया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपील मे कोई सार नहीं पाया जाता है। अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 28.09.2020 बाबत खसरा नम्बर 1000 ग्राम कुरेडा तहसील पीपलू आदेश क्रमांक एफ 12/राजस्व/आरक्षण/2020/4079–83 सेट–ए– पार्ट करने वास्ते सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) अन्तर्गत धारा 92 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उक्त आदेश को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested